नागरिकता का सिद्धांत

Dr.Vini Sharma

होता है. जिसकी उसी जगह का नागरिक माना
जाता
है.

प्रत्येक नागरिक को अपने राज्य और सरकार के द्वारा बताये गए नियमों (कर्तव्य) का पालन करना होता है. जिसके बदले मे उसे अधिकार प्राप्त होते है. और राज्य का यह प्रथम लक्ष्य होता है की वह सभी नागरिक को समानता प्राप्त कराये.

- नागरिक की विभिन्न धारणा है.
- नागरिक विदेशी से भिन्न (विपरीत) होता है

नागरिक की उत्पति - समाज मे ज़ब अव्यवस्था थी,
ऐसे
समय मे एक समजोता हुआ, जिसके अंतर्गत
व्यक्ति ने अपना एक समूह बनाया और
अपने अधिकार अपने प्रतिनिधि को दे दी और
प्रतिनिधि

साथ
व्यक्ति के समाजिक और राजनितिक संबंधो का
स्वरूप
निर्धारण करते है. जिससे व्यक्ति को नागरिक होने
का
बोध होता है.

अरसतू के अनुसार

नागरिकता पर समय समय पर अनेक प्रश्न उठते रहे
है.

व्यक्ति

को समान अवसर प्राप्त हुए.

इसका महत्वपूर्ण भाग

सर्वभौमिक व्यस्क मतअधिकार. है.

इसके मूलतत्व

- सामाजिक सहभागीता
- मानव कल्याण
- आर्थिक राजनितिक समता
- राजनितिक सहभागीता
- सम्प्रदायीक असीमता

व्यक्ति
को नहीं माना जाता था. नागरिक केवल
समझदार
व्यक्ति व अमीर लोगो को माना जाता था.
ऐसा माना जाता था की अमीर व समझदार
व्यक्ति
ही समाज को बनाते है.
राजनीतिक अधिकार सबको नहीं मिलना
चाहिए
क्योंकि यह एक बहुत ही समाज का महत्वपूर्ण
विषय है

कार्यो मे भाग लेने का अधिकार प्राप्त है.

- इस कारण हर व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता.
- जिन लोगो मे यह गुण है वह भाग ले बाकी शासित
  होकर शांत रहे.
- ग्रीक मे महिलाओ , विदेशी, कृषक मजदूर , नौकर
  इससे बाहर थे.
- इसके अलावा केवल बड़ा नागरिक को ही

नागरिक ही एक समाज के प्रधान का
निर्वाचन
करता है.
प्रधान को समझना व उसकी क्षमता को
पहचानना
आम बात नहीं.

- यह कोई बौद्धिक व्यक्ति ही कर सकता है.
इसलिए नागरिक जो राजनितिक प्रक्रिया मे
भाग
लेता है उसे बुद्धिमान होना चाहिए.
- अरसतू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स मे कहा

धारणा
लुप्त रही फिर,
- 13वी और 14वी शताब्दी मे मैकयावले जैसे विचारक
ने नागरिकता की अवधारणा को विकसित किया.
- मैकयावले ने कहा की सरकार का सर्वोत्तम गुण गणतंत्र
है, जहाँ सरकार सीधा जनता के द्वारा निर्वाचित
होती है. और जनता (नागरिक) मे दो गुण अवश्य होने
चाहिए.
1. राज्य के आंतरिक और बाहरी व्यवस्था को समजे

किये

- रोम ने अपने देश के वासियो को नागरिकता सुविधा तो

दी परन्तु आदिवासीयों, विदेशी को एक अलग नागरिकता दी . जिसमे उन्हें विशेषअधिकार नहीं

मिले जैसे

1 सेना मे सेवा का अधिकार

2 विधि निर्माण मे मतदान

3 वैधीक अधिकार

4 अन्य नागरिक के साथ ले देने

नागरिकों को - नियोजन और कारोबार के अधिकार

4. वे बहुसंख्यक में विश्वास रखते थे क्योंकि उनका
मानना था की बौद्धीक लोगो का फैसला इन लोगो
पर भारी पड़ता था.

टी.ऐच ग्रीन

- टी.ऐच ग्रीन का मानना था की नागरिक को अच्छा
जीवन सुलभ कराने से है.
- राज्य का उद्देश्य न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने
- यह न्यूनतम सुविधाऐ हर व्यक्ति के

उदय हुआ और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का
अंत आने
लगा ऐसे समय मे.

- 18वी और 19 वी शताब्दी मे ज़ब शहर , उद्योग , पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आयी. ऐसे समय

- जे.ऐस मिल और टी. ऐच ग्रीन जैसे दार्शनिको ने उदारवादी नागरिकता को बढ़ावा दिया उनका मानना
था, की

1. नागरिकता सभी को मिलना चाहिए
2. तीन मानदंड होने चाहिए
    - व्यक्तिक स्वतंत्रता

व्यक्ति को नागरिकता ज़ब तक मायने नहीं रखती
ज़ब तक समाज मे वर्ग विभेद मौजूद है.

- मार्क्सवादियों का मानना है की, पूंजीवादीयों ने जो नागरिकता प्राप्त कराई है , वह केवल पूंजीपतियों की औजार की तरह है.
  क्योंकी सभी को नागरिकता प्राप्त होने के बाद जो निम्न वर्ग है (मजदूर) वह
  ऊपरी वर्ग का विरोध नहीं करेगा.
- उनका मानना था की सार्वबोमिक अधिकार सब को
  है, लेकिन सच्चाई यह है की.

हासिल होंगी

7. टी. ऐच मार्शल

मार्शल की अवधारणा राज्य को उसके नागरिकों के लिए सामाजिक जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है या, जैसा कि मार्शल ने कहा है, "सामाजिक

अधिकार के लिए आर्थिक कल्याण और सुरक्षा के एक हिस्से का अधिकार से है।" एक सभ्य समाज का जीवन समाज में प्रचलित मानकों के अनुसार है।

[१] मार्शल द्वारा बनाए गए प्रमुख बिंदुओं में से एक इंग्लैंड में नागरिकता के माध्यम से प्राप्त अधिकारों के विकास में उनका विश्वास है, "अठारहवीं शताब्दी में नागरिक अधिकारों" से, उन्नीसवीं में राजनीतिक और बीसवीं में सामाजिक।
"[1] हालाँकि, इस विकास की कई लोगों द्वारा आलोचना की गई है, केवल गोरे काम करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से। मार्शल सामाजिक अधिकारों के विकास और उनके आगे के विकास

कारण "दान" का एक विशेष रूप से आधुनिक गर्भाधान "[4] एक" पूरक अन्य "के रूप में उत्पन्न हुआ था, इस प्रकार, कल्याणकारी और दुर्भाग्यपूर्ण मदद करने वाले को दायित्व के बजाय दान के रूप में देखा गया। इस दृष्टिकोण के कारण, दान के रिसीवर को "दान" अर्जित नहीं करने के लिए कलंकित किया गया था।

फ्रेजर और गॉर्डन संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए एक समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। वे सुझाव

एक प्रमुख हिस्सा बन गई हैं। हालाँकि, ये विवादास्पद मुद्दे भी बन गए हैं क्योंकि इस बात पर बहस जारी है कि क्या किसी नागरिक को वास्तव में शिक्षा का अधिकार है और इससे भी ज्यादा, सामाजिक कल्याण के लिए।

समाज मे देखता है. और मानता है की नागरिकता वही
पूर्ण रुप से सफल हो सकती है ,

जहाँ एक

व्यवस्थित
नागरिक समाज बने और नागरिक समाज निम्न तरीके से बनाया जा सकता है.

- कानून बनाने व अपराधियो को दंड देने से एक नागरिक
समाज नहीं बन जाता
- एक व्यवस्थित समाज सामूहिक तोर पर बनता है ज़ब
व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकार राज्य को
सुरक्षा

राज्य अधिकार मे काटोती ना करे यदि वह करता है
तो उसे उस जगह से हटा देना चाहिए.

- राज्य मे व्यक्तियों की आकांशा के लिए अन्य निकाय होने
चाहिए जो व्यक्ति की लक्ष्य को पूरा करे.

9. वैश्विक नागरिकता

विश्व दर्शन और संवेदनाओं के साथ दुनिया के सदस्य होने के साथ आते हैं। यह विचार यह है कि किसी की पहचान भूगोल या राजनीतिक सीमाओं को पार करती है और यह जिम्मेदारियां या अधिकार व्यापक वर्ग में सदस्यता से प्राप्त होते हैं: "मानवता"। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता या अन्य, अधिक स्थानीय पहचानों का खंडन या प्रतीक्षा करता है, लेकिन ऐसी पहचान को वैश्विक समुदाय में उनकी सदस्यता के लिए "दूसरा स्थान" दिया जाता है। [१] विस्तारित, इस विचार से वैश्वीकरण के युग में वैश्विक समाज की स्थिति के बारे में सवाल उठते हैं।